मिनो मेहता

बनाम

शवाक डी. मेहता

15 जनवरी, 1998

[एस.बी. मजमुदार और एम.जगन्नाध राव, न्यायाधिपतिगण]

विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992-धारा 7,3 (2) और 4 और 9-ए- के अधिकार क्षेत्र- शिकायतकर्ता ने हस्तांतरण प्रपत्रों के साथ शेयरों को अभियुक्तों को हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए सौंप दिया।- उसकी बिक्री-अभियुक्त बिक्री आय का भुगतान करने में विफल रहा- आपराधिक विश्वासघात और प्रतिभूतियाँ की धोखाधड़ी के लिए विशेष अदालत के समक्ष शिकायत -अभियुक्त यद्यपि सुसंगत अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराध में शामिल अधिसूचित नहीं किया गया है-अभिनिर्धारित किया गया- विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है भले ही अभियुक्त अधिनियम की धारा 3 (2) -भारतीय दंड संहिता 1860, धारा 409 के अनुसार अधिसूचित व्यक्ति न हो।

प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता चाचा है और अपीलार्थी-अभियुक्त उसका भतीजा है। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को उसकी बिक्री की व्यवस्था करने और उसे बिक्री आय का भुगतान करने के लिए हस्तांतरण प्रपत्रों के साथ अपने

शेयर भी सौंप दिए। शिकायतकर्ता ने विभिन्न अवसरों पर बिक्री के बारे में आरोपी से पूछताछ की, लेकिन आरोपी ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि बिक्री के लिए समय उपयुक्त नहीं था। इसके बाद आरोपी शिकायतकर्ता को टालने लगा। पूछताछ करने पर शिकायतकर्ता ने पाया कि विचाराधीन शेयर पहले ही बिक चुके थे। यह भी पाया गया कि अभियुक्त ने स्वयं उक्त शेयरों की बिक्री की व्यवस्था की थी। शिकायतकर्ता ने अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और प्रतिभूतियों के ग़बन के लिए विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई। विशेष अदालत ने मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए। अभियुक्त ने यह तर्क देते हुए एक आवेदन दायर किया कि विशेष अदालत के पास उसके खिलाफ कथित अपराध का मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसी को खारिज कर दिया गया था। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थी ने संतोष व्यक्त किया कि अभियुक्त अधिनियम की धारा **3 (2)** के अनुसार अधिसूचित व्यक्ति नहीं था; इस प्रकार विशेष न्यायालय के पास उक्त अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 . यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा **3 (2)** में निर्दिष्ट अपराध किसी अधिसूचित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध होना चाहिए। जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है, यह अधिनियम के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। प्रतिभूतियों में लेन-

देन से संबंधित अपराधों की सुनवाई और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए। इसलिए, प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन से संबंधित प्रत्येक अपराध जो अधिनियम के दायरे में आता है, यानी यदि ऐसा लेनदेन 1 अप्रैल 1991 और 6 जून 1992 को या उससे पहले हुआ है, ऐसा अपराध मुकदमे के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा।

1.2. जहां तक आपराधिक कार्यवाही का सवाल है तो धारा 3, उप-धारा (2) की दो बुनियादी आवश्यकताएं संतुष्ट हैं कि विशेष न्यायालय के पास कथित अपराधों से निपटने के लिए धारा 7 के तहत अधिकार क्षेत्र होगा, अगर आरोपी अधिसूचित व्यक्ति न हो। विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल संरक्षक की कल्पना और इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकता। धारा 3 के संयुक्त वाचन पर और इसके प्रासंगिक प्रावधान, इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि एक बार संरक्षक किसी व्यक्ति को धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत आधिकारिक राजपत्र में सूचित करता है, उसे धारा 3 की उप-धारा (4) और धारा 4 के तहत निर्धारित ऐसे व्यक्ति की संपत्तियों और लेनदेन से निपटने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र मिलता है और ऐसे मामले में अधिसूचित व्यक्तियों के नागरिक मुकदमे भी अधिनियम की धारा 9-ए के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। लेकिन आपराधिक कार्यवाही के मामले में भले ही आरोपी को सूचित नहीं किया गया हो फिर भी विशेष न्यायालय को धारा 7 के तहत अपराधों से निपटने का क्षेत्राधिकार होगा।

2. जहां तक धारा 3, उप-धारा. (2) संबंधित हैं द्वारा विचार किए गए आपराधिक अपराधों में शामिल अभियुक्तों की बात है, अधिनियम के धारा 11 के तहत वैधानिक योजना का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता।

केनरा बैंक बनाम परमाणु ऊर्जा निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड, [1995] पूरक 3 एस. सी. सी. 81; कुर्द्रेमुख लौह अयस्क। कं. लिमिटेड बनाम फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, (1994) एयर एससीडब्ल्यू 2342, में फ़र्क़ को समझा गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 69 / 1998

विशेष न्यायालयों के प्रतिभूति अधिनियम, 1992 में लेन-देन से संबंधित अपराधों का मुकदमा मामला सी. आर. एल सं./1995 की ऐप्लिकेशन सं. 240/1997 के 10.7.97 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से राजू रामचंद्रन और मनोज वाड।

प्रत्यर्थिगण के लिए धीरज मिराजकर और रुस्तम बी. हाथीखानावाला।

न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा दिया गया था।

एस. बी. मजूमदार, न्यायाधिपति

अनुमति दे दी गई।

हमने विद्वान वकील या पक्षों को सुना है। संक्षिप्त प्रश्न, इस अपील में शामिल है, कि क्या विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के तहत काम करने वाले विशेष न्यायालय को प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता द्वारा दायर मामले अपीलार्थी-अभियुक्त पर विचार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश से युक्त विशेष न्यायालय ने माना है कि कार्यवाही उसके अधिकार क्षेत्र में है। अपीलार्थी-अभियुक्त ने वर्तमान अपील में उक्त निर्णय को चुनौती दी है। इन कार्यवाहियों की ओर ले जाने वाले कुछ परिचयात्मक तथ्यों को शुरुआत में नोट करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि तथ्य

प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता चाचा है और अपीलार्थी-अभियुक्त उसका भतीजा है। यह प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता का मामला है जिसकी आयु लगभग 85 वर्ष है कि वह पेशे से एक वास्तुकार है। वह आरोपी अपने भाई का बेटा है, यानी उसके भतीजे है। उन्होंने भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 409 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कराई। हम इस निर्णय के उत्तरार्ध में प्रत्यर्थी को शिकायतकर्ता और अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में संदर्भित करेंगे। शिकायतकर्ता का मामला यह है कि उसके और उसकी बेटी सुश्री फिरोजा परवेज ड्राइवर के पास ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के

1200 शेयर थे। शिकायतकर्ता का कोई बेटा नहीं है और आरोपी उसका भतीजा और करीबी रिश्तेदार है, उसने विश्वसनीय दलाल के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था करने और शिकायतकर्ता को बिक्री आय का भुगतान करने के लिए हस्तांतरण फॉर्म के साथ शेयर आरोपी को सौंप दिए। यह दिसंबर 1991 के महीने में कहीं किया गया था। यह शिकायतकर्ता का मामला है कि उसने विभिन्न स्थानांतरण प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें निष्पादित किया, इसलिए उसकी कथित बेटी सुश्री फिरोजा ने भी संभावित खरीदार के नाम पर उनके हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।

शिकायतकर्ता आगे कहता है कि उसे आरोपी से उम्मीद थी उसे नियत समय में उक्त शेयरों की बिक्री आय का भुगतान करेगा। लेकिन काफी देर तक आरोपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। शिकायतकर्ता ने विभिन्न अवसरों पर अभियुक्त से कथित शेयरों बिक्री के बारे में पूछताछ की। हालाँकि, शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया और टाल दिया कि शेयरों की बिक्री के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। इसके बाद आरोपी शिकायतकर्ता से बचने लगा। इसलिए, शिकायतकर्ता ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उसने मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो मेसर्स ग्रेट ईस्टर्न के शेयर पंजीयक थे ,से पूछताछ की 02 जनवरी 1993 को शिकायतकर्ता को जवाब दिया गया कि संबंधित शेयर पहले ही बिक चुके हैं। शिकायतकर्ता को उस सब-ब्रोकर का नाम भी पता चला जिसके माध्यम से उक्त शेयर बेचे गए थे, यानी, श्री

परेश बी. पटेल, जिन्हें मूल रूप से आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया था। शिकायत में शिकायतकर्ता ने तब उक्त उप दलाल से पूछताछ की और उससे उसे पता चला कि आरोपी ने पहले ही उक्त शेयरों की बिक्री की व्यवस्था कर ली थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी से पूछताछ की और शिकायतकर्ता द्वारा एकत्र की गई जानकारी से उसका सामना कराया। आरोपी ने शिकायतकर्ता से शेयरों की प्राप्ति, उसकी बिक्री आदि को स्वीकार करते हुए कुछ लेख भी लिखे। उसने शिकायतकर्ता को बिक्री आय का भुगतान करने का भी वादा किया। हालाँकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता ने यह शिकायत दर्ज कराई है। एक मामले के साथ कि अभियुक्त ने विश्वास के आपराधिक उल्लंघन और प्रतिभूतियों के बेईमान दुरुपयोग का अपराध किया था। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी के साथ-साथ अभियुक्त नं. 2 परेश बी. पटेल। यद्यपि विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त नं. 2. इसलिए वह तस्वीर से बाहर है। इसलिए, शिकायत केवल वर्तमान अपीलार्थी, अभियुक्त नं. 1 जो अब एकमात्र आरोपी है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि शिकायत प्रत्यर्थी-शिकायतकर्ता द्वारा 13 अप्रैल 1994 को उपरोक्त कथित अपराध के लिए विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी। उक्त मामला विशेष मामला संख्या 1/ 1995 के रूप में दर्ज किया गया था। विशेष न्यायालय ने अपीलार्थी को समन जारी किया और अपीलार्थी के खिलाफ निम्नानुसार आरोप तय किएः

" चार्ज "

मैं, न्यायमूर्ति एम. एस. राणे, न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, मुंबई, एतद्द्वारा आप, मीनू मेहता, यहाँ अभियुक्त, निम्नानुसार आरोप लगाता हूँ:

वह दिसंबर 1991 में या उसके आसपास प्रतिभूतियाँ अर्थात विशिष्ट संख्या में शिकायतकर्ता शावक डी. मेहता के ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के 1200 शेयर और उनकी बेटी सुश्री फिरोजा पी. ड्राइवर, नीचे उल्लिखित विवरणों के अनुसार :

	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
1.	31202266-31202415	150
2.	31202116-31202255	150
3.	31202416-31202440	25
4.	25752406-25752430	25
5.	25752431-25752455	25
6.	25752456-25752480	25
7.	8699052-8699151	100
8.	24690929-24691028	100
9.	823796-823895	100
10.	33201-33300	100
11.	405952-406051	100

12.	541991-542090	100
13.	7720240-7720339	100
14.	4715055-4715154	100
		1200

"उसे आपकी ओर से उसे बेचने और उसे उन शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय का भुगतान करने के लिए सौंपा गया था जो उसे साझा करते हैं। आपने जनवरी 1992 में बिक्री की और बेईमानी से दुरुपयोग किया और बिक्री की आय को रुपये 1,10,000 में परिवर्तित कर दिया, अपने स्वयं के उपयोग के लिए और आपने इस तरह आपराधिक अपराध किया। धारा 406 आई. पी. सी. के तहत दंडनीय उक्त प्रतिभूतियों में उक्त लेन-देन के संबंध में विश्वास का उल्लंघन। और मेरे संज्ञान में और इसलिए, मैं निर्देश देता हूं कि आप पर उक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए।"

आरोपी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष उक्त मामले में एक आवेदन संख्या 240/1997 पेश किया और तर्क दिया कि विशेष अदालत के पास अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध की सुनवाई करने का कोई अधिकार

क्षेत्र नहीं था। विद्वान एफ विशेष न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद 10 जुलाई 1997 के अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायत विशेष अदालत के समक्ष विचारणीय थी और जिस अपराध के लिए उस पर आरोप लगाया गया था, उसके लिए अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने का उसे अधिकार क्षेत्र था। यह विशेष न्यायालय का आदेश है जिसे वर्तमान अपील में इस न्यायालय की जांच के आधार पर लाया गया है।

वैधानिक योजना

अपीलार्थी-अभियुक्त की शिकायत की सराहना करने के लिए अधिनियम की वैधानिक योजना पर ध्यान देना आवश्यक है जिसके तहत विशेष न्यायालय कार्य कर रहा है और प्रत्यर्थी - शिकायतकर्ता की शिकायत पर विचार किया है। 1992 के अधिनियम संख्या 27 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 18 अगस्त 1992 को सहमति दी गई थी। इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से 6 जून 1992 से लागू किया गया था, एक अध्यादेश के रूप में उस से पहले की तारीख से पहले था। यह 6 जून 1992 को अधिनियम की धारा 3 के तहत एक संरक्षक नियुक्त किया गया था। यह अधिनियम प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों की सुनवाई और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण - जाँच के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ और कदाचार, दोनों सरकार और अन्य संस्थान में, लेनदेन में देखा गया था कदाचार के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कुछ दलालों के व्यक्तिगत खातों में धन की निकासी हुई।

2) स्थिति से निपटने के लिए और विशेष रूप से इसमें शामिल बड़ी राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए, दोषियों को दंडित करने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बुनियादी अखंडता और विश्वसनीयता में विश्वास बहाल करने और बनाए रखने के लिए विशेष न्यायालय (अपराध का परीक्षण प्रतिभूतियों में लेनदेन के संबंध में) अध्यादेश, 1992, 6 जून, 1992 को प्रख्यापित किया गया था। अध्यादेश प्रतिभूतियों में लेनदेन और संपत्तियों के निपटान से संबंधित अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश के साथ एक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अपराधियों द्वारा ऐसी संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक या अधिक संरक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।

(3) विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

"धारा 2 परिभाषा खंड है. धारा 2(बी) 'अभिरक्षक' को परिभाषित करती है; इसका अर्थ है, धारा 3' की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त संरक्षक, जबकि धारा 2(सी) 'प्रतिभूतियों' को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"प्रतिभूतियाँ" में शामिल हैं,

i) शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बांड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, यूनिट की इकाइयाँ। ट्रस्ट ऑफ इंडिया या किसी अन्य म्यूचुअल फंड या किसी निगमित कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट में समान प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां;

ii) सरकारी प्रतिभूतियाँ; और

iii) प्रतिभूतियों में अधिकार या हित;

धारा 2 (डी) 'विशेष न्यायालय' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है, 'धारा 5 की उपधारा (1) के तहत स्थापित विशेष न्यायालय'। धारा 5 उपधारा (1) केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालय कहलाने वाली अदालत स्थापित करने का अधिकार देती है। इसकी उपधारा (2) में कहा गया है कि 'बी विशेष न्यायालय में उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश शामिल होंगे, जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

द्वारा नामित किया जाएगा, जिनके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर विशेष न्यायालय स्थित है, सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश की'. विद्वान एकल न्यायाधीश, जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया है, अधिनियम की धारा 5 उप-धारा (2) के अनुसार विधिवत एक विशेष न्यायालय के रूप में गठित किया गया है। अधिनियम की धारा 3 'अभिरक्षक की नियुक्ति और कार्यों' को संदर्भित करती है। उक्त धारा इस प्रकार है:

"3. संरक्षक की नियुक्ति एवं कार्य:-(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक संरक्षक नियुक्त कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

(2) अभिरक्षक, प्राप्त जानकारी से संतुष्ट होने पर, किसी भी व्यक्ति से संबंधित किसी भी अपराध में 1 अप्रैल 1991 के बाद शामिल हो सकता हैऔर उसके बाद प्रतिभूतियों में लेनदेन 6 जून 1992 से पहले ऐसे व्यक्ति का नाम आधिकारिक राजपत्र रूप से अधिसूचित करें ।

(3) संहिता और तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के तहत अधिसूचना की तारीख से, अधिसूचित किसी भी व्यक्ति से

संबंधित कोई भी संपत्ति, चल या अचल, या दोनों उस उप-धारा के तहत अधिसूचना जारी होने के साथ-साथ संलग्न किया जाएगा।

(4) उप-धारा (3) के तहत कुर्क की गई संपत्ति का निपटान कस्टोडियन द्वारा उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि विशेष न्यायालय निर्देशित कर सकता है।

(5) संरक्षक इस धारा और धारा 4 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकता है।"

अधिनियम की धारा 4 धोखाधड़ी से किए गए अनुबंधों से संबंधित है जिन्हें रद्द किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है। इसकी उप-धारा (1) अभिरक्षक को, ऐसी पूछताछ के बाद, जो वह उचित समझे, संतुष्ट होने पर, 1 अप्रैल 1991 के बाद और 6 जून 1992 उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित व्यक्ति की किसी संपत्ति के संबंध में धारा 3 जो धोखाधड़ी से या अधिनियम के प्रावधान को विफल करने के लिए दर्ज की गई है, को या उससे पहले किसी भी समय किए गए किसी भी अनुबंध या समझौते को रद्द करने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 6 विशेष न्यायालय को ऐसे मामलों का संज्ञान लेने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देती है जो उसके समक्ष स्थापित किए जा

सकते हैं या उसे हस्तांतरित किए जा सकते हैं, जैसा इसमें प्रावधान है। अतः यह स्पष्ट है कि विशेष न्यायालय उन दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों का संज्ञान ले सकता है और उन पर मुकदमा चला सकता है जिन्हें स्थापित किया जा सकता है। उससे पहले या अधिनियम के तहत उसे हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके बाद धारा 7 आती है जो विशेष न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है और जिसके वास्तविक निर्माण पर वर्तमान विवाद का निर्णय लिया जा सकता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है :

"7. विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार-

किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन केवल विशेष न्यायालय में ही स्थापित किया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में किसी भी न्यायालय में लंबित कोई भी अभियोजन विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।"

धारा 8 'संयुक्त विचारणों के संबंध में विशेष न्यायालय की अधिकारिता' से संबंधित है और यह निर्धारित करती है कि विशेष न्यायालय को धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अपराध में संबंधित किसी भी व्यक्ति पर प्रधान, षड्यंत्रकारी या सहायक के रूप में और अन्य सभी अपराधों और अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र

होगा, जिन पर संहिता के अनुसार एक मुकदमे में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 9 'विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों' से संबंधित है जिससे हम संबंधित नहीं हैं। तथापि, धारा 9-ए, जिसे 25 जनवरी 1994 से 1994 के अधिनियम 24 में संशोधन करके संविधि पुस्तक में लाया गया था, को नोट करना आवश्यक है। इसकी उप-धारा (1) में कहा गया है कि विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का विचारण) संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ से ही, विशेष न्यायालय ऐसे सभी क्षेत्राधिकार शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा जो प्रयोग योग्य थे, धारा 3 की उपधारा (3) के तहत संलग्न किसी भी संपत्ति से संबंधित किसी भी मामले या दावे (ए) के संबंध में किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी शुरुआत से ठीक पहले; (बी) 1 अप्रैल 1991 के बाद और 6 जून 1992 को या उससे पहले किए गए प्रतिभूतियों के लेनदेन से उत्पन्न, जिसमें धारा 3 की उपधारा (2) के तहत अधिसूचित व्यक्ति एक पार्टी के रूप में शामिल है, दलाल, मध्यस्थ या अन्य तरीके से' धारा 11 'देनदारियों के निर्वहन' से संबंधित है और इसकी उपधारा (1) में कहा गया है कि 'संहिता और उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, विशेष न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे। 'कुर्की के तहत संपत्ति के निस्तारण के लिए कस्टोडियन को निर्देश देना।' धारा 11 की उपधारा (2) में भुगतान का प्रावधान है या जहां तक हो सके, उस उप-खंड द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के क्रम में पूर्ण रूप से

निर्वहन करना। अन्य बातों के अलावा, धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में व्यक्ति से देय इस प्रकार अभिरक्षक द्वारा किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या म्यूचुअल फंड को सूचित की गयी सभी राशियों का भुगतान और निर्वहन करने का प्रावधान है। धारा 13 अधिनियम के प्रबल प्रभाव का प्रावधान करती है और यह निर्धारित करती है कि अधिनियम के प्रावधान किसी भी चीज के बावजूद प्रभावी होंगे। इस अधिनियम या किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी डिक्री या आदेश के अलावा, किसी अन्य कानून में या किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में इसके साथ असंगत है। यह उपरोक्त वैधानिक योजना की पृष्ठभूमि में है कि हमारे विचार के लिए प्रस्तुत प्रश्न का समाधान किया जाना चाहिए।

प्रश्न पर विचार

इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायत एक निजी पक्ष शिकायतकर्ता चाचा द्वारा दर्ज की गई है अपने भतीजे, वर्तमान अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ, आरोप लगाया कि उसने अभियुक्त को प्रासंगिक अवधि के दौरान अपने शेयरों को बेचने का काम सौंपा था, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को उक्त लेन-देन से उत्पन्न बिक्री प्रतिफल को वापस करने के बजाय उक्त राशि का ग़बन किया था। यह भी सच है कि न तो शिकायतकर्ता और न ही आरोपी अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार अधिसूचित व्यक्ति हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 7 के

संयुक्त पठन पर यह विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या एक अभियुक्त जो अधिसूचित व्यक्ति नहीं है, उसके विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है यदि वह आरोप लगाया कि-(i) वह प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन में शामिल है; और (ii) और अभियुक्त की ऐसी संलिप्तता प्रासंगिक अवधि, यानी 1 अप्रैल 1991 से 6 जून 1992 के दौरान उत्पन्न होती है। जहाँ तक आवेदन के लिए दो आवश्यकताएँ हैं अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 7 का संबंध है कि पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है क्योंकि शिकायत में यह स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि आरोपी को संबंधित कंपनी में शिकायतकर्ता के शेयरों को बेचने का काम सौंपा गया था और आरोपी ने कथित रूप से संबंधित अवधि के दौरान उक्त लेन-देन को अंजाम दिया था और उसने दिसंबर 1991 और जनवरी 1992 के बीच इन शेयरों की बिक्री से आय प्राप्त की। यह भी विवाद में नहीं है कि शेयर ` धारा 2 खंड (ग) में उल्लिखित प्रतिभूतियों की परिभाषा के भीतर आते हैं । लेकिन छोटी सी शिकायत अपीलार्थी की ओर से यह है कि अपीलार्थी-अभियुक्त अधिसूचित नहीं है। अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार विशेष न्यायालय के पास आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन यह है नियमित आपराधिक न्यायालय जो ऐसे अपराधी पर मुकदमा चला सकता है।

प्रतिद्वंद्वी तर्क

अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचंद्रन ने इस संबंध में जोरदार रूप से तर्क दिया गया कि धारा 7 की सही व्याख्या पर विशेष न्यायालय को ऐसे अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र हो सकता है जिन पर उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध को करने का आरोप है। अधिनियम की धारा 3, एक अधिसूचित व्यक्ति के रूप में। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अपराध एक अधिसूचित व्यक्ति द्वारा प्रतिबद्ध एक अपराध होना चाहिए। इस तर्क से सहमत होना मुश्किल है। इसका कारण स्पष्ट है। जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है, अधिनियम प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों के मुकदमे और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। इसलिए, प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन से संबंधित प्रत्येक अपराध जो अधिनियम के व्यापक दायरे में आता है, यानी यदि ऐसा लेनदेन 1 अप्रैल 1991 के बीच और 6 जून 1992 को या उससे पहले हुआ है। इस तरह के अपराध के मुकदमे के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा। यदि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील सही थे तो धारा 7 को अलग तरीके से कहा गया होता, अर्थात, यह कहा गया होता कि धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार अधिसूचित किसी व्यक्ति का कोई भी अभियोजन उसमें निर्दिष्ट अपराध का संबंध केवल विशेष न्यायालय में स्थापित किया

जाएगा। इस शब्दावली का उपयोग करने के बजाय विधानमंडल ने अपने विवेक में उक्त धारा में यह प्रावधान किया है कि अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन केवल विशेष न्यायालय में स्थापित किया जाएगा। अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील सही है जब वह तर्क देते हैं कि बिना किसी अपराधी के कोई अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन अधिनियम की प्रस्तावना और अधिनियम के अधिनियमन के मुख्य उद्देश्य के आलोक में धारा 7 की योजना यह प्रतीत होती है कि संबंधित अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में लेनदेन में शामिल अभियुक्तों के संबंध में अभियोजन से संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियां विशेष न्यायालय के समक्ष होंगी न कि सामान्य अदालतों के समक्ष क्योंकि धारा गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होती है जिसमें कहा गया है कि किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केवल विशेष न्यायालयों के पास ऐसे अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। यह निश्चित रूप से सच है कि एक बार जब अभिरक्षक धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में किसी व्यक्ति के नाम को अधिसूचित करता है तो इसके संबंध में कुछ नागरिक परिणाम होते हैं। अभिरक्षक को अनुबंधों को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति भी मिलेगी और धारा 4 उप-धारा (1) की प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसे अधिसूचित व्यक्ति द्वारा किए गए समझौते। यह भी सच है कि अंत में विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से

संबंधित अपराधों का मुकदमा) (संशोधन) अधिनियम, 1994 जैसा कि धारा 9 द्वारा निर्धारित किया गया है के प्रारंभ से ऐसे अधिसूचित व्यक्तियों के खिलाफ एक लंबित मुकदमा, विशेष प्रावधानों द्वारा विचार किए गए को भी निर्णय के लिए विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार जहाँ तक दीवानी मुकदमों का संबंध है, संशोधन अधिनियम 1994 प्रारंभ होने पर लंबित कार्यवाहियाँ को स्थानांतरित कर दिया जाएगा बशर्ते कि 1992 में मुख्य अधिनियम के लागू होने के बाद ऐसे प्रतिवादियों को अधिनियम की धारा 3 उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित किया गया हो। लेकिन यह अधिसूचित व्यक्तियों के खिलाफ सिविल कार्रवाई से संबंधित एक योजना है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा 9-ए को 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया था, इसलिए इसे अधिसूचित करना संभव था। अभिरक्षक द्वारा धारा 3 उप-धारा (2) के तहत ऐसे प्रत्यर्थी जो 6 जून 1992 को और उसके बाद नियुक्त किया जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान ऐसी अधिसूचनाएं ऐसी अधिसूचित व्यक्तियों से संबंधित दीवानी मामले बनाए जाते हैं, तो धारा 9-ए के विस्तार से प्रभावित हों। धारा 7 द्वारा ऐसी किसी योजना की परिकल्पना नहीं की गई है। जहाँ तक अपराधों का संबंध एक संयुक्त पठन पर है अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 उप-धारा (2) में यह नहीं कहा जा सकता है कि जब तक किसी व्यक्ति को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक उस पर विचार किए गए अपराध के लिए विशेष न्यायालय द्वारा धारा 3 उप-धारा (2) द्वारा

मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अपराध, जो अधिनियम की धारा 7 के दायरे में आता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध होना चाहिए और इसमें निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी चाहिएः

1. इस तरह का अपराध प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित होना चाहिए; और

2. इस तरह के अपराध 01 अप्रैल 1991 और 06 जून 1992 को या उससे पहले के बीच किए जाने का आरोप लगाया जाना चाहिए।

ये अपराधों के विशेष वर्ग हैं जिन्हें विधानमंडल द्वारा केवल विशेष न्यायालय द्वारा निपटाने के लिए बनाया गया है, न कि सामान्य न्यायालय द्वारा। एक बार इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद विशेष न्यायालय को ऐसे अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र मिलेगा और इसलिए, संबंधित अभियुक्तों पर लगातार मुकदमा चलाने के लिए, जिन पर विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञेय ऐसे अपराध करने का आरोप है। इस संबंध में एक अतिरिक्त पहलू का कोई मूल्य नहीं है। जब प्रमुख अभियुक्त अधिसूचित व्यक्ति होता है तो गैर-अधिसूचित अभियुक्त पर भी धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रमुख अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है यदि वे ऐसे अपराधों में संयुक्त रूप से शामिल थे। लेकिन इसके अलावा अगर आरोपी एकमात्र आरोपी है और वह एक

अधिसूचित व्यक्ति नहीं है और अगर अधिनियम लागू होने पर किसी भी अदालत में ऐसे आरोपी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तब ऐसे आपराधिक मामले में भी उप-धारा (2) की दो अपेक्षाएँ प्रदान की गई थीं धारा 3 के तहत ऐसा अपराध जैसा पहले देखा गया है, स्वतः ही संतुष्ट हो जाएगा। धारा 7 के उत्तरार्द्ध भाग द्वारा निर्धारित स्थिति विशेष न्यायालय को स्वतः ही हस्तांतरित हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि 6 जून 1992 को अधिनियम लागू होने के बाद अभिरक्षकों की नियुक्ति धारा 3 की उप-धारा (1) के अनुसार की जाएगी लेकिन धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा अनुध्यात अपराध 1 अप्रैल 1991 से बड़ी अवधि के भीतर आते हैं जो 6 जून 1992 तक विस्तारित है। इसलिए यह कल्पना करना संभव है कि प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराध में शामिल किसी अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामला 6 जून 1992 से पहले भी लंबित हो सकता है, जब यह अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ था। इसलिए 1 अप्रैल 1991 से 5 जून 1992 तक आरोपी जिसे इस तरह के लेन-देन में शामिल कहा जाता है, वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि अभिरक्षक द्वारा ऐसे व्यक्ति को अधिसूचित करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होगा। उत्तरार्द्ध को 06 जून 1992 से पहले किसी भी समय नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए, अपराध में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ ऐसे लंबित आपराधिक मामले 1 अप्रैल 1991 और 6 जून 1992 के बीच प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अनिवार्य रूप से ऐसे अपराध के

अभियुक्तों को संदर्भित करेगा जो गैर-अधिसूचित व्यक्ति थे और फिर भी धारा 7 द्वितीय भाग के बल पर गैर-अधिसूचित अभियुक्तों के खिलाफ ऐसे लंबित मामले यदि वे अपराध जिनमें वे शामिल थे, धारा3 उप-धारा (2) द्वारा निर्धारित दो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, स्वतः ही मुकदमे के लिए विशेष न्यायालय को हस्तांतरित हो जाएगी। यदि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील सही हैं तो 6 जून 1992 से विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पहले से लंबित आपराधिक मामले जिनमें अभियुक्तों को अधिसूचित नहीं किया गया है, उन पर धारा 7 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। लंबित मामले स्वतः ही विशेष न्यायालय में स्थानांतरित हो जायेंगे। लेकिन धारा 3 उपधारा (1) के तहत कस्टोडियन की नियुक्ति के बाद दर्ज मामलों में, केवल अधिसूचित व्यक्तियों पर धारा 3 उपधारा (2) के अनुसार समान प्रकार के अपराधों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा करेगा और धारा 7 के संचालन को छोटा और असंतुलित बना देगा। यदि विशेष न्यायालय 06 जून 1992 से पहले दायर किए गए स्थानांतरित आपराधिक मामलों की सुनवाई नियमित अदालतों में कर सकता है, जिनमें आरोपी अधिसूचित व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि ऐसे मामले अधिनियम के लागू होने पर स्वचालित रूप से सुनवाई के लिए उसे स्थानांतरित कर दिए जाएंगे, तो यह आवश्यक है कि यह माना जाए कि

भले ही इस तरह के आपराधिक मामले अधिनियम के लागू होने के बाद दायर किए गए हों, समान प्रकार के अपराधों में शामिल गैर-अधिसूचित व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। किसी भी अन्य दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप एक ही धारा 7 के अनुसार कार्य करने वाले विशेष न्यायालय के लिए दो परस्पर विरोधी प्रकार के क्षेत्राधिकार का निर्माण होगा।

इस पहलू के अलावा यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 3 उपधारा (2) के तहत एक संरक्षक ऐसे व्यक्ति को आधिकारिक राजपत्र में सूचित कर सकता है। एक ऐसा मामला लें जिसमें कस्टोडियन ने, उसके सर्वोत्तम ज्ञात कारणों से, ऐसे व्यक्ति को सूचित नहीं किया हो और फिर भी ऐसे व्यक्ति पर प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराध, 1 अप्रैल 1991 और 6 जून 1992 से प्रासंगिक अवधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया हो। इन परिस्थितियों में यदि अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील सही हैं तो व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाने से प्रतिरक्षा केवल इसलिए मिलेगी क्योंकि अभिरक्षक ने अपने विवेकाधिकार या लापरवाही के कारण या अन्यथा सरकारी राजपत्र में ऐसे व्यक्ति को अधिसूचित करने की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं समझा है। ऐसी स्थिति में विशेष न्यायालय की अधिकारिता ऐसे अभियुक्त के संबंध में धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत अभिरक्षक की इच्छा पर निर्भर करेगी। यदि उसे

सूचित किया जाता है, तो आरोपी पर विशेष अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि वह उसे सूचित नहीं करता है तो ऐसे अभियुक्त पर उस अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जो अन्यथा धारा 3 खंड (2) की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है । धारा 7 द्वारा निर्धारित विशेष न्यायालय की अधिकारिता केवल अभिरक्षक की कल्पना और इच्छा पर निर्भर नहीं कर सकती है। इसलिए, धारा 3 और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के संयुक्त पठन पर, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि एक बार अभिरक्षक उप-धारा (2) के तहत आधिकारिक राजपत्र में किसी व्यक्ति को अधिसूचित करता है। धारा 3 उप-धारा (4) और धारा 4 के तहत निर्धारित संपत्तियों और लेन-देन और ऐसे मामले में अधिसूचित व्यक्तियों के दीवानी मुकदमे भी अधिनियम की धारा 9-ए के अनुसार हस्तांतरित किए जाएंगे। लेकिन जहां तक आपराधिक कार्यवाही का संबंध है, भले ही आरोपी को अधिसूचित नहीं किया जाता है, फिर भी विशेष न्यायालय के पास धारा 7 के तहत कथित अपराधों से निपटने का अधिकार क्षेत्र होगा। यदि धारा 3 की उप-धारा (2) की पहले उल्लिखित दो बुनियादी अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो ऐसे अभियुक्त द्वारा किया गया है। उपरोक्त दो के रूप में धारा 7 के साथ पठित धारा 3 उप-धारा (2) की बुनियादी आवश्यकताएं कथित रूप से हैं वर्तमान मामले में संतुष्ट और जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है अभिनिर्धारित किया जाए कि बॉम्बे

के विशेष न्यायालय को विचार करने और अपीलार्थी के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक मामले में मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र था ।

हालांकि अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का एक प्रस्तुतिकरण अधिनियम की धारा 7 के दूसरे भाग के साथ संबंध को नोट करना आवश्यक है। इस आधार पर कि गैर-अधिसूचित व्यक्तियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हो सकता है बशर्ते अभिरक्षक उन्हें धारा 3 उप-धारा (2) के तहत सूचित करे। तब तक हस्तांतरित मामलों को लंबित रखा जाना होगा । इस विवाद को धारा 7 के दूसरे भाग की इक्स्प्रेस भाषा पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे लंबित आपराधिक मामलों का अधिनियम के लागू होने की तिथि, यानी 6 जून 1992 पर वैधानिक और स्वचालित हस्तांतरण किया जाए। विवाद पर अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के लिए एक अंतराल होगा और मध्यावधि जिसके दौरान ऐसे लंबित मामलों को स्थानांतरित करने से पहले संबंधित अभियुक्त को अधिसूचित किया जाना चाहिए या कि विशेष न्यायालय इस तरह की अधिसूचना के बाद ही ऐसे स्थानांतरित लंबित मामलों के साथ आगे बढ़ सकता है। धारा 7 के दूसरे भाग की स्पष्ट भाषा पर ऐसा पाठ्यक्रम विरोधाभासी है।

इस मामले से अलग होने से पहले हम कह सकते हैं कि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के

खिलाफ कथित अपराध प्रासंगिक समय के दौरान प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन से संबंधित नहीं था, बल्कि अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से कथित लेनदेन से प्राप्त बिक्री पर विचार से संबंधित था और जिसके लिए कथित अपराध के तहत अपीलार्थी के खिलाफ धारा 409 अभियोजन शुरू करने की मांग की गई है। इस तर्क से सहमत होना मुश्किल है। शिकायत में पाठ का एक संयुक्त पठन, जिसे स्पष्ट रूप से इस स्तर पर सही माना जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि अभियुक्त पर प्रतिभूतियों में लेनदेन करने का आरोप है, अर्थात्, प्रासंगिक अवधि के दौरान और उक्त लेनदेन में से शेयरों को बिक्री आय प्राप्त हुई है जिसे उसने शिकायतकर्ता को नहीं सौंपा है या प्रेषित नहीं किया है जो कथित राशि का हकदार होने का दावा करता है। इस प्रकार कथित अपराध निश्चित रूप से प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित है जैसा कि कहा जाता है कि अभियुक्त द्वारा प्रासंगिक अवधि के दौरान किया गया था।

वर्तमान चर्चा से विदा लेने से पहले हम दो निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जिन पर अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा जताया था । केनरा बैंक बनाम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिड एवं अन्य, [1995] पूरक 3 एससीसी 81 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ 1994 के संशोधन अधिनियम की धारा 9-ए की व्याख्या से चिंतित थी। हमारा विचार है कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले में अपीलार्थी को इस साधारण कारण से कोई सहायता नहीं दे सकता है कि,

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 9-ए उन सिविल मामलों की सुनवाई का प्रावधान करती है जिनमें अधिसूचित व्यक्ति प्रतिवादी है। इसलिए, जहां तक नागरिक कार्रवाइयों का संबंध है, धारा 9-ए द्वारा प्रतिबिंबित वैधानिक योजना अपने आप संचालित होगी और इस संबंध में व्यक्तियों और उनके खिलाफ अधिनियम के तहत कैसे कार्रवाई की जाएगी, इस न्यायालय द्वारा अधिसूचित रिपोर्ट के पैराग्राफ 27 और 33 में टिप्पणियाँ की गई हैं। जिस प्रश्न से हम चिंतित हैं, वह उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय के समक्ष नहीं था। हमारा ध्यान कुद्रेमुख आयरन ऑर्म्स कंपनी लिमिटेड बनाम फेयरग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य, [1994] 4 एससीसी 246 के मामले में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों के एक फैसले की ओर भी आकर्षित किया गया था। । यहां तक कि उस मामले का भी वर्तमान कार्यवाही में कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि सरल कारण यह है कि वेंकटचलैया, मुख्य न्यायाधिपति, द्वारा उस मामले में न्यायालय की ओर से बोलते हुए अधिनियम की धारा 11 और धारा 3 उप-धारा (2) की देनदारियों के निर्वहन के संबंध में धारा 11 सीधे तौर पर कुर्की के तहत संपत्ति के संरक्षक की शक्तियों से संबंधित व्याख्या की गई है। यह कि अधिनियम की धारा 3 उपधारा (3) अधिसूचित व्यक्ति की संपत्तियों की स्वचालित कुर्की से संबंधित है एक बार जब उसे इसकी उप-धारा (2) के तहत इस तरह से अधिसूचित किया जाता है और उसके बाद अभिरक्षक धारा 3 की उप-धारा (4) के तहत ऐसी कुर्क की गई

संपत्तियों के साथ इस तरह से व्यवहार करने का हकदार हो जाता है जैसा कि विशेष न्यायालय निर्देश दे। इस प्रावधान के आलोक में धारा 11 प्रासंगिक हो जाती है। धारा 11 के तहत स्पेशल कोर्ट कस्टोडियन को कुर्की के तहत संपत्ति का निपटान करने का निर्देश देता है, जिसमें अधिसूचित व्यक्तियों से देय सभी राशि किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थागत या म्यूचुअल फंड को भुगतान की जा सकती है। नतीजतन, धारा 3 उप-धारा (4) और धारा 11 का संयुक्त पठन एक अलग वैधानिक योजना का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें केवल अधिसूचित व्यक्ति की संलग्न संपत्तियों को धारा 11 में दिए गए दायित्वों के निर्वहन के लिए निस्तारण किया जाता है। अब तक धारा 3 उपधारा (2) द्वारा विचार किए गए अपराधों में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक मामले समेकित हैं, उपरोक्त वैधानिक योजना का कोई क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। नतीजतन, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में भी इस न्यायालय का फैसला अपीलार्थी के मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है।

परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, एक विशेष न्यायालय के रूप में,अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक मामले को चलाने में उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में विवादित आदेश पारित करने में काफी उचित थे। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।